बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ०1-104/2007- 552 **पटना/दिनांक-** 25\6\18

माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध दायर परिवाद में भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में नलकूप, पम्पगृह, पाईप लाईन एवं जलमीनार के निर्माण कार्यो के निविदा निष्पादन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। उक्त के आलोक में लोकायुक्त अधिनियिम 1973 की धारा 10 (I) (क) के अन्तर्गत संबंधित आरोपी पदाधिकारी को नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा समीक्षापरोन्त श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विभिन्न पाईप जलापूर्ति योजना के निविदा निस्तार में नियम के प्रतिकूल परिमाण विपत्र की राशि से 20 प्रतिशत से अधिक दर अनुमोदित करने, निविदा निस्तार में 2 बीड लिफाफा की पद्धति नहीं अपनाने, बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 का उल्लंघन करने, मुख्यालय में नहीं रहने, पद का दुरूपयोग करने, एवं निविदा का निष्पादन ससमय नहीं करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त आरोपों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-176, दिनांक-24.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

3. अपर सदस्य राजस्व पर्षद-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-464, दिनांक-15.09.2017 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध लगे आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-4 एवं 5 को अप्रमाणित बताया गया।

4. जांच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-902 दिनांक-16.10.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

5. श्री सिंह द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-02.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित न कर द्वितीय कारणपृच्छा एवं जाँच प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती देने की बात कही गई।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- **पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की पाँच वर्षों तक कटौती।**

7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश: **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-104/2007- 552 **पटना/दिनांक-** 25/6/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-104/2007- 552 **पटना/दिनांक-** 25/6/18

प्रतिलिपि:- उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक-05/प्रो०-3-04 /2018(532) लो०से०आ०, दिनांक-25.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-104/2007- 552 **पटना/दिनांक-** 25/6/18

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/ आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता-136, आशियाना नगर, फेज-1, डाकघर-आशियाना नगर, थाना-राजीव नगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-104/2007- 552 **पटना/दिनांक-** 25/6/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव
25/6/18